# बिहार सरकार
## स्वास्थ्य निदेशालय
### आदेश

आ0सं0–6/एन–08–97/2022............ /पटना–15, दिनांक–

रामजी प्रसाद साहु मेमोरियल ट्रस्ट, अतरदह, कच्ची पक्की रोड, जिला–मुफ्फरपुर–842002 द्वारा प्रस्तावित आर0पी0एस0 कॉलेज ऑफ नर्सिंग, झपहाँ, सीतामढ़ी रोड, अहियापुर, मुजफ्फरपुर–842002 के अन्तर्गत ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम की स्थापना के लिए अनुमति हेतु आवेदन, शपथ–पत्र एवं अन्य अभिलेख समर्पित किया गया।

(2) सम्यक विचारोपरांत नर्सेज ट्रेनिंग–रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इक्जामिनेशंस ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–04 के उपनियम–II के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानानुसार आर0पी0एस0 कॉलेज ऑफ नर्सिंग, झपहाँ, सीतामढ़ी रोड, अहियापुर, मुजफ्फरपुर–842004 के नाम से ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की जाती है।

(3) भारतीय उपचर्या परिषद (INC), नई दिल्ली द्वारा निर्गत मार्गदर्शन तथा स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–116(6) दिनांक–15.02.2017 एवं आदेश ज्ञापांक–704(6), दिनांक–15.06.2020 में दिए निदेश के आलोक में संस्थान द्वारा भवन निर्माण करने एवं नियमानुसार भौतिक संसाधनों एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात् संस्थान द्वारा मान्यता के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को आवेदन पत्र आदेश ज्ञापांक–989(6), दिनांक–05.08.2019 द्वारा निर्गत चेकलिस्ट में निर्धारित दस्तावेज के साथ समर्पित करना होगा। मान्यता प्राप्ति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का नामांकन कर पठन–पाठन का कार्य आरंभ होगा।

(4) संस्थान को मान्यता के लिए आवेदन आदेश निर्गत की तिथि से अधिकतम 9 माह के अन्दर समर्पित करना होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर मान्यता आवेदन समर्पित नहीं करने की स्थिति में अनुमति आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा तथा नये सिरे से अनुमति के लिए आवेदन समर्पित करना होगा।

ह0/–
(डॉ0 अनिल कुमार तिवारी)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–6/एन–08–97/2022...992(6) पटना, दिनांकः– 22/06/2023

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, रामजी प्रसाद साहु मेमोरियल ट्रस्ट, अतरदह, कच्ची पक्की रोड, जिला–मुफ्फरपुर–842002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

Scanned with OKEN Scanner